

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 199 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत
पंजीकृत कार्यालय— 27ए, डवलपड इण्डस्ट्रियल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई-600032
शाखा कार्यालय— 21/22, ऊपरी भूतल जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बिल्डिंग,
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान - 302018

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. अशोक कुमार शर्मा

प्रथम पता:— वार्ड नं. 8, जोशियों का मोहल्ला, खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना, जिला
सीकर, राजस्थान, 332713

द्वितीय पता:— आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 2254 रकबा 1.82 हैक्टे. का भाग,
ग्राम नीमकाथाना, पटवार हल्का नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला
सीकर, राजस्थान, 332713

2. ममता शर्मा

प्रथम पता:— 1516, जोशियों का मोहल्ला, खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना, जिला
सीकर, राजस्थान, 332713

द्वितीय पता:— आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 2254 रकबा 1.82 हैक्टे. का भाग,
ग्राम नीमकाथाना, पटवार हल्का नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला
सीकर, राजस्थान, 332713

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 20 नवम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राहुल पारीक द्वारा अधिनियम की धारा
14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार
है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः अशोक कुमार शर्मा एवं ममता
शर्मा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय
संस्था के पक्ष में अप्रार्थी ममता शर्मा के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पति
आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 2254 रकबा 1.82 हैक्टे. का भाग, ग्राम

१

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



नीमकाथाना, पटवार हल्का नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान, 332713 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 204.61 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में अन्य प्लॉट, पश्चिम दिशा में 20 फिट रास्ता/सुरेन्द्र जी का घर, उत्तर दिशा में खातेदारों की शेष भूमि एवं दक्षिण दिशा में खातेदारों की शेष भूमि स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹15,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पन्द्रह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.01.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 01.01.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः अशोक कुमार शर्मा एवं ममता शर्मा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी ममता शर्मा के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट खसरा


 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

नम्बर 2254 रकबा 1.82 हैक्टे. का भाग, ग्राम नीमकाथाना, पटवार हल्का नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान, 332713 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 204.61 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में अन्य प्लॉट, पश्चिम दिशा में 20 फिट रास्ता/सुरेन्द्र जी का घर, उत्तर दिशा में खातेदारों की शेष भूमि एवं दक्षिण दिशा में खातेदारों की शेष भूमि स्थित है। उक्त सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी **दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **20 नवम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर